मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर, 1995 (भाद्र 22, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर,

(क) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (2), (1) तथा धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

(I) क्रमांक ए.3-1-95-विक-पांच (40) दिनांक 18 मई, 1995 ;
(II) क्रमांक ए.3 (1)-95-विक-पांच (44) दिनांक 6 जून, 1995 ;

(ख) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-7-95-वि.क.-पांच (59) दिनांक 17 जुलाई, 1995 ;

(ग) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-6-95-वि.क.-पांच (58) दिनांक 17 जुलाई, 1995 ; तथा

(घ) मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 8 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-5/8/95/वा.कर./5 दिनांक 5 अगस्त, 1995 ; पटल पर रखेंगे.

(2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) 95-एक-10 दिनांक 26 अगस्त, 1995 , पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, रायगढ़ सहित अनेक स्थानों पर समानान्तर ट्रेक्शन सब स्टेशन के चलने से विद्युत मंडल को करोड़ों रुपयों की क्षति होने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजाराम तोडेम, सदस्य, बस्तर मध्य वन मण्डल के अनेक क्षेत्रों में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 100-पत्थलगांव के सदस्य श्री रामपुकार सिंह को अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

(क) ग्राम भुआ बिछिया में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले जाने ;
(ख) ग्राम बम्हनी (देवहरा) में बालक छात्रावास भवन का निर्माण कराये जाने ;
(ग) ग्राम सरई पड़ाव में विद्युतीकरण कराये जाने ;
(घ) ग्राम भीमडोंगरी स्थित बालक छात्रावास में सीटें बढ़ाये जाने ; एवं
(ड.) ग्राम भुआ बिछिया स्थित विद्युत स्टेशन में कन्ट्रोलर लगाये जाने ;

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम जरवाही में स्पॉट सोर्स योजना लागू कराये जाने ;

(3) श्री प्रेमसिंह पटेल, सदस्य, खरगौन जिले के ग्राम बोकराटा से खेतिया तक सड़क निर्माण कराये जाने ;

(4) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम मड़ई से शिवराजपुर तक सड़क बनाये जाने ;
(ख) सिंहपुर चौराहा से ग्राम ओदकी तक सड़क बनाये जाने ;
(ग) ग्राम कल्पा एवं मड़ई के बीच नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने ;
(घ) ग्राम द्वारी-मड़ई मार्ग पर गिट्टी कुटाई कराने तथा पुलियों का निर्माण कराये जाने ; एवं
(ड.) ग्राम झिगौंदर में अमरन नदी पर स्टाप डेम काजवे बनाये जाने ; तथा

(5) श्री शंकर प्रताप सिंह, सदस्य, राजधानी भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित शासकीय आवास गृह कॉलोनी में पार्क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 27 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (शेष 1 घन्टा 5 मि.) — (1) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

1 घन्टा 30 मि. — (2) प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश जोशी, बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 12 सितम्बर, 1995